वित्त निर्देश 28/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 230/146/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 06.08.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-शासकीय सेवकों पर आश्रित संबंधियों के लिए आय की अधिकतम सीमा ।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी.405/1502/89/नि-1/चार, दिनांक 29.11.89 एवं ज्ञापन क्रमांक डी-9/90/1502/89/नि-1/चार, दिनांक 8.01.1990 द्वारा छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 9(32) के नीचे पूरक नियम (8) में परिभाषित 'परिवार' के सदस्यों को 'पूर्णतः आश्रित' मानने हेतु आय की अधिकतम सीमा रूपये 500/- प्रतिमाह निर्धारित की गई थी । राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत उक्त ज्ञापन को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) शासकीय सेवक के, ऐसे वैध बच्चे अथवा सौतेले बच्चे, माता-पिता, अविवाहित बहनें, विधवा बहनें (यदि उनके पिता जीवित न हो अथवा पिता स्वयं भी संबंधित शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हों) और अवयस्क भाई जो शासकीय सेवक के साथ रहते हों और जिनकी आय पेंशन (पेंशन में अस्थाई वृद्वि तथा मृत्यु-सह सेवा निवृत्ति उपदान के समान पेंशन लाभों को जोड़कर) तथा अन्य स्त्रोतों को शामिल करते हुए रूपये 1500/- प्रतिमाह से अधिक नहीं है, शासकीय सेवक पर 'पूर्णतः आश्रित' माने जावेगें । आय के निर्धारण हेतु पेंशन की राशि में महंगाई पेंशन तथा महंगाई राहत शामिल नहीं किया जाएगा ।

(2) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1342/सी.आर./2554/4/नि-1/72, दिनांक 17.11.72 की कंडिका-1[v] में दी गई परिवार की परिभाषा के अंतर्गत ''पूर्णतः आश्रित सदस्य'' मान्य करने हेतु उपर्युक्त कंडिका-2 में दी गई आय सीमा लागू होगी । अवकाश यात्रा सुविधा के लिए वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.11.1972 की कंडिका-1[v] में 'परिवार' की जो परिभाषा दी गई है, वह यथावत् रहेगी ।

(3) राज्य शासन द्वारा मूलभूत नियम 9(32) के पूरक नियम 8 को संशोधित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है ।

(4) यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा तथा पूर्व में निराकृत प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय-रायपुर
:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक 06.08.2007

क्रमांक 230/146/वित्त/नियम/चार/2007: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद द्वारा, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम भाग-1 में निम्नलिखित संशोधन और करते है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

नियम 9 के खण्ड (32) के पू0नि0 (8) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''पू0नि0 (8) ''परिवार'' से अभिप्रेत है, शासकीय सेवक की पत्नी या पति, यथास्थिति, जो शासकीय सेवक के साथ रह रहे हों तथा इसमें बैध बच्चे एवं सौतेले बच्चे, माता-पिता, सौतेली माता, अविवाहित बहनें एवं विधवा बहनें तथा अवयस्क भाई भी सम्मिलित है, यदि वे शासकीय सेवक के साथ रह रहें हो तथा उस पर पूर्णरूप से आश्रित हों ।

टीप-1. इन नियमों के प्रयोजन के लिए शब्द 'परिवार' में एक से अधिक पत्नी सम्मिलित नहीं है ।

टीप-2. गोद लिया गया बच्चा वैध बच्चा माना जाएगा यदि शासकीय सेवक के वैयक्तिक विधि के अंतर्गत गोद लेना उस बच्चे को नैसर्गिक संतान की प्रस्थिति प्रदान करने की तरह विधि मान्य हो ।''

पूर्व में निर्णित प्रकरण पुन: नहीं खोले जाएंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA- RAIPUR

Raipur, dated 06-08-2007

NOTIFICATION

No. 230/146/Fin./Rule/IV/2007: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Fundamental Rules, VOI-1, from the date of publication in the Official Gazette, namely:-

AMENDMENT

In the said rules :-

For SR [8] of Clause 32 of Rule 9, the following shall be substituted, namely;-

" SR [8]" Family" means a Government servant's wife or husband, as the case may be, residing with the Government servant and also includes legitimate children and step children, parents, step mother, unmarried sisters and widowed sisters and minor brothers if residing with and wholly dependent upon the Government servant.

Note.1- Not more than one wife is included in the term "family" for the purpose of these rules.

Note.2- An adopted child shall be considered to be a legitimate child if, under the personal law of the Government servant, adoption is legally recognized as conferring on it the status of a natural child."

Cases already decided shall not be re-opened

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

[S.K.Chakraborty]
Deputy Secretary
Government of Chhattisgarh
Finance Department

प्रतिलिपि:-

पृष्ठां.क्रमांक 231/146//वित्त/नियम/चार/07,रायपुर, दिनांक 06.08.2007

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड.शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग